न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 2014/00266 (01/2014)

देवीलाल पुत्र श्री दामदास जाति स्वामी निवासी चक 3 डीडब्ल्यूएम, रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2– बाबूलाल पुत्र श्री दामदास जाति स्वामी निवासी चक 3 डीडब्ल्यूएम, रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3– रामप्रताप पुत्र श्री दामदास जाति स्वामी निवासी चक 3 डीडब्ल्यूएम, रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4– मदनलाल पुत्र श्री दामदास जाति स्वामी निवासी चक 3 डीडब्ल्यूएम, रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975

उपस्थितिः–

1. श्री लालचन्द दवर्थ, श्रीनत्थूराम वर्मा अभिभाषक, अपीलांट
2. श्री विजय कौशिक अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या–2
3. श्री कासिम अली अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4
4. श्री राजेश कौशिक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या–1

निर्णय

दिनांकः– 27.08.21

1. अपीलांट ने यह अपील न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के निर्णय व आदेश दिनांक 13.02.2003 के विरूद्व यह अपील पेश की है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता श्री दामदास की प्री–55 की भूमि थी जिसके आवंटन की पत्रावली तत्समय सहायक कलैक्टर नोहर के समक्ष चली। इसी क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एएए के संशोधन दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:12 IST
Reason: SelfAttested

04.08.1983 के पश्चात् पुनः पत्रावली रिओपन कर मिसल नम्बर 451/1987 कायम की गई जिसमें पूर्व प्री–55 की मिसल नम्बर 283/73 शामिल की गई। सहायक कलैक्टर नोहर द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 23.03.1989 को निर्णय पारित कर श्री दामदास को चक 3 डीडब्ल्यूएम के पत्थर नम्बर 194/43 का किला नम्बर 1 से 5 कुल 5 बीघा की निःशुल्क खातेदारी दी गई तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 को चक 3 डीडब्ल्यूएम के मु0नं0 194/43 का किला नम्बर 6 से 25, मु0नं0 94/51 का किला नम्बर 1 से 4, 7 से 13, 18 से 22, प0नं0 154/52 का किला नम्बर 1 से 3 मु0नं0 194/44 का किला नम्बर 15 कुल 52 बीघा कमांड व 3 बीघा अनकमांड कुल 55 बीघा कृषि बतौर बालिग पुत्र कीमतन आवंटित किये जाने का आदेश पारित किया गया। श्री दामदास द्वारा उक्त निर्णय व आदेश के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष अपील संख्या 12/2001 प्रस्तुत हुई जो दिनांक 05.12.2003 को खारिज हुई जिसके विरूद्व श्री दामदास ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 60/2004 प्रस्तुत की जो दिनांक 15.02.2005 को खारिज हुई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में श्री दामदास की निगरानी खारिज होने के पश्चात अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किश्तें जमा करवाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के पक्ष में जारी करने का निवेदन किया जिस प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने आज तक कोई निर्णय पारित नहीं किया है। रेस्पोडेंट संख्या–2 ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर उक्त आवंटित रकबा की किश्तें जमा करवाने का निवेदन किया जिस पर अपीलांट या श्री दामदास की बिना सुनवाई किये दिनांक 13.02.2003 को निर्णय पारित कर प्रश्नगत कृषि भूमि की किश्तें जमा करवाने के आदेश पारित कर रकबा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के पक्ष में बहाल करने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्व अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की।

2. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल नम्बर 451/1987 में निर्णय दिनांक 23.03.1989 पारित कर प्रश्नगत कुल भूमि 52 बीघा को अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 को बतौर बालिग पुत्र आवंटित किये जाने का आदेश पारित किया। सहायक

Lewis

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:12 IST
Reason: SelfAttested

कलैक्टर नोहर का उक्त निर्णय व आदेश दिनांक 23.03.1989 अंतिम व बाध्यकारी है तथा सहायक कलैक्टर नोहर के उक्त निर्णय व आदेश दिनांक 23.03.1989 के विपरीत माननीय अधीनस्थ न्यायालय को चुनौतिधीन निर्णय पारित करने की अधिकारिता नहीं है। चुनौतिधीन निर्णय व आदेश में किश्त तय शास्ति राशि जमा करवाकर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के पक्ष में बहिस्सा बराबर प्रश्नगत रकबा बहाल किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति पर गौर नहीं कर गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने चुनौतिधीन निर्णय व आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया जबकि प्रकरण के समस्त पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाना आज्ञापक है। अपीलाधीन निर्णय व आदेश दिनांक 13.02.2003 अपीलांट को बिना कोई सुनवाई किये पारित किया है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 13.02.2003 अपास्त कर प्रश्नगत रकबा की किश्त राशि जमा करवाकर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के पक्ष में बहिस्सा बराबर बहाल किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के सम्बंध में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि सहायक कलैक्टर नोहर के आदेश दिनांक 23.03.1989 के अनुसार अपीलांट का भी प्रश्नगत भूमि में हक व हिस्सा है इसलिये अपीलांट अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत कर रहा है तथा धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा दफा–5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नहीं था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश अपीलांट की पीठ के पीछे पारित किया गया है। जब रेस्पोडेंट संख्या–2 द्वारा उक्त अपील हाजा से अर्सा एक माह पूर्व अपने हिस्सा से अधिक भूमि को मुन्तकिल करने का प्रयास किया गया जिस पर अपीलांट ने आपत्ति करने पर रेस्पोडेंट संख्या–2 ने उपरोक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 की एकल आवंटित होने के कथन किये जिस पर अपीलांट द्वारा आक्षेपित आदेश की नकल प्राप्त की तब अपीलांट को आक्षेपित आदेश का ज्ञान हुआ तथा अपील ज्ञान के दिवस से अन्दर मियाद है।

4. रेस्पोडेंट सं0 1 ता 3 के अधिवक्तागण ने ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत रकबा को बहाल करने का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:12 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 2 ता 4 का ही था अपीलांट का कोई प्रार्थना पत्र नहीं था। आक्षेपित आदेश का अपीलांट को शुरू से ही ज्ञान रहा है। अपीलांट आक्षेपित आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं है तथा न ही उक्त अपील मियाद में प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण अपीलांट ने दफा–5 प्रार्थना पत्र में दर्शाया है। अपीलाण्ट को बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. सहायक कलैक्टर नोहर ने दिनांक 23.03.1989 को प्रश्नगत भूमि बालिग पुत्र अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 को कीमतन आवंटन करने के आदेश पारित किये। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 द्वारा किश्तें जमा न करवाने के कारण खारिज कर दिया जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किश्तें जमा करवाने व रकबा बहाल करने का निवेदन किया गया। चूंकि प्रश्नगत रकबा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर आवंटन हुआ है इस कारण प्रश्नगत रकबा रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 के साथ साथ अपीलांट भी आवंटी होने से रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 के साथ प्रश्नगत भूमि में बहिस्सा बराबर का हक है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि मात्र रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 के पक्ष में बहाल करने का आक्षेपित आदेश पारित किया है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट् सं० 2 से 4 का संयुक्त कब्जा काश्त चली आ रही है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि नियमानुसार राशि जमा करवाकर अपीलाण्ट देवीलाल व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4 के पक्ष में बहिस्सा बराबर रकबा को बहाल करने के आदेश पारित करे। उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:12 IST
Reason: SelfAttested

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2003 अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते हैं कि नियमानुसार राशि जमा करवाकर अपीलाण्ट देवीलाल व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4 के पक्ष में बहिस्सा बराबर रकबा को बहाल करने के आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

27.8.21

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:12 IST
Reason: SelfAttested